

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2021

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0008

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

17/07/2021 14:40 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)E

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/07/2021 **Time (समय):** 13:50 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 005 **Date and Time (दिनांक और समय):** 17/07/2021 14:31 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 0.5 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)

(b) **Address (पता):** FARIDABAD,

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** श्री बलवीर सिंह DSP

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1964

(d) **Nationality (राष्ट्रियता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	राज्य चौकी ब्यूरो, फरीदाबाद, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	राज्य चौकी ब्यूरो, फरीदाबाद, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	श्री महेन्द्र कौशिक उप जिला न्यायवादी हुड्डा फरी			1. मकान न0- 988 सैक्टर-17 फरी0, FARIDABAD,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, फरीदाबाद मण्डल , फरीदाबाद श्रीमान जी, निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 06 दिनांक 24.12.2010 फरीदाबाद की पड़ताल श्री विजय पाल ह0पु0से उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद द्वारा अमल में लाई गई थी। जिसमें आरोप न0-1 यह था कि श्री महेन्द्र सिंह कौशिक उप जिला न्यायवादी हुडा फरीदाबाद ने कोठी न0 988, सेक्टर 17 फरीदाबाद जिसकी पहली मंजिल का कार्य चल रहा है और लगभग 2.25 करोड़ में अभी खरीद की है। इसके नाम एक प्लाट सेक्टर 46 फरीदाबाद प्लाट नं0 474 या 494 है और

एक फार्म हाउस पलवल मनसा ग्रीन में है व 500 वर्गगज का प्लाट कुरुक्षेत्र में है व 250 वर्गगज का प्लाट अपने रिश्तेदार के नाम हिसार में ले रखा है। एक फ्लैट हीवो सोसायटी गुडगांव में ले रखा है व एक प्लाट हीवो सोसायटी सेक्टर 16 फरीदाबाद में है व एक प्लाट पाल बिल्डरस नहर पार हंस प्रोपर्टी के साथ सेक्टर 16 फरीदाबाद में है। इसके अलावा इसके पास और भी सम्पत्ति हो सकती है। इस आरोप की पड़ताल के दौरान पाया गया कि प्रतिवादी महेन्द्र कौशिक सितम्बर 1980 में बतौर सहायक जिला न्यायवादी नियुक्त हुआ था जो दिनांक 30. 09-2010 को उप जिला न्यायवादी के पद से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग से सेवानिवृत्त हो चुका है। प्रतिवादी महेन्द्र कौशिक उप जिला न्यायवादी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद (सेवानिवृत्त) को शामिल जांच करके अपना चल अचल सम्पत्ति घोषणा फार्म भरने के लिए नोटिस दिये गये परन्तु प्रतिवादी ने अपना चल अचल सम्पत्ति घोषणा फार्म भरकर प्रस्तुत नहीं किया और ना ही शामिल जांच होकर अपना कथन अंकित कराया प्रतिवादी को शामिल जांच करने के लिए बार-बार पत्राचार किया गया तथा बार-बार नोटिस दिये गये। परन्तु प्रतिवादी शामिल जांच नहीं हुआ। प्रतिवादी महेन्द्र कौशिक ने कोठी नं० 988 सेक्टर 17 फरीदाबाद अपने व अपने पुत्र विपुल कौशिक के नाम श्री चमन कपूर से 25,00,000/- रुपये स्टाम्प पेपर 2,45,070/- रुपये तथा रजिस्ट्रेशन फीस 15,000/- रुपये जो कुल 27,60,070/- रुपये में दिनांक 09.07.2008 को खरीद करनी पाई है। प्रतिवादी महेन्द्र कौशिक के नाम से मैसर्स मनसा बिल्डकॉन, प्राइवेट लि० पलवल में कोई भी प्लाट होना नहीं पाया गया परन्तु प्रतिवादी के पुत्र विपुल कौशिक के नाम से एक कीला नं० 22, रकबा 1008 वर्गगज की रजि० बयनामा नं० 10466 दिनांक 30.03.2012 सब रजि० होडल में पंजीकृत होनी पाई गई। जो उक्त प्लाट की कीमत 40,00,000/- रुपये स्टाम्प 2,00,000/- रुपये व रजिस्ट्रेशन फीस 15,000/- रुपये जो कुल 42,15,000/- रुपये में खरीद करनी पाई गई परन्तु जांच का चैक पीरियड दिसम्बर 2010 तक माना गया और यह पंजीकरण 30.03.2012 का है इसलिए इस प्लाट की खरीद पर खर्च को जांच में शामिल नहीं किया है। प्रतिवादी महेन्द्र कौशिक के नाम से एक फ्लैट नं० 31 सेक्टर 16ए फरीदाबाद में पंजीकृत होना पाया गया है। जिसके अनुसार उक्त फ्लैट प्रतिवादी ने 7,50,700/- रुपये व 75,000/- रुपये लिफ्ट के अलग से जो कुल 8,25,700/- रुपये में खरीदना पाया गया है। प्रतिवादी ने अपनी नियुक्ति के दौरान विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कुल 29,92,636.55/- रुपये बतौर वेतन प्राप्त किया है जिसकी 40 प्रतिशत बचत 11,97,054.62/- रुपये बनती है जो प्रतिवादी ने फ्लैट नं० 31 सेक्टर 16ए फरीदाबाद की खरीद पर खर्च 8,25,700/- रुपये व मकान नं० 988, सेक्टर 17 फरीदाबाद की खरीद पर 27,60,070/- रुपये जो दोनों सम्पत्तियों पर कुल मिलाकर 35,85,770/- रुपये खर्च होने पाये गये है जो प्रतिवादी महेन्द्र कौशिक द्वारा आय से 23,88,715.38/- रुपये अधिक खर्च करने पाये है। जो विभाग से प्रतिवादी ने प्रोपर्टी खरीदते समय कोई भी परमीशन प्राप्त नहीं की है व APR फार्म भी सम्बंधित विभाग में जमा नहीं कराया गया है तथा प्रतिवादी के लड़के विपुल कौशिक ने भी जांच के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जांच के दौरान प्रतिवादी महेन्द्र कौशिक को 17 बार नोटिस दिये गये परन्तु प्रतिवादी ना तो जांच में शामिल हुआ और ना हि जांच में कोई सहयोग किया। इसके अलावा प्रतिवादी के घर पर नोटिस भी चस्पा किया गया व प्रतिवादी को बतलाया गया कि अगर आप जांच में सहयोग नहीं करते हो तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी परन्तु इसके बावजूद भी प्रतिवादी ने जानबूझ कर अपने व अपने परिवार की सम्पत्ति बारे ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया। जांच की पड़ताल के दौरान पाया गया कि प्रतिवादी ने अपनी नियुक्ति के दौरान भ्रष्ट तरीके से 23,88,715.38/--- रुपये की सम्पत्ति अपनी जायज आप के स्रोतों से अधिक एकत्रित करनी पाई गई। जांच कार्य पूर्ण होने पर रिपोर्ट प्रतिवादी के विरुद्ध भेजी गई थी। इसके पश्चात मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पृष्ठांकन 7/26/2010-1V-II दिनांक 22.03.2021 के अनुसार विषयोक्त मामले में श्री महेन्द्र कौशिक उप जिला न्यायवादी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध धारा 13(1)(ई०) अपराध के समय प्रचलित कानून व 13(2) पी०सी०एक्ट के तहत अपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने का निर्णय लिया गया है। इन आदेशों की पालना करते हुये महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला कार्यालय के पृष्ठांकन 4751 / आई-2/रा०चौ०ब्यू०(ह०) दिनांक 25.03.2021 के अनुसार कार्यालय उप पुलिस महानिरीक्षक, राज्य चौकसी फरीदाबाद मण्डल , फरीदाबाद में श्री महेन्द्र कौशिक उप जिला न्यायवादी (सेवानिवृत्त) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद के विरुद्ध अपराध धाराधीन 13(1)(ई०) अपराध के समय प्रचलित कानून व 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अभियोग अंकित करने के लिए दिनांक 09.07.2021 को उपरोक्त आदेश व जांच से सम्बन्धित असल रिकार्ड मुझे प्राप्त होने पर अभियोग अंकित करने हेतु तहरीर प्रस्तुत है। अभियोग अंकित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार इलाका मजिस्ट्रेट व सम्बन्धित अफसरान बाला की सेवा में बिना किसी देरी के भिजवाई जावे व अभियोग के आगामी अनुसंधान हेतु अन्य अनुसंधान

अधिकारी नियुक्त किया जाये। अज- थाना राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद SD- श्री बलवीर सिंह उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकी ब्यूरो, फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद दिनांक 17.07.21 अज थाना – इस समय एक लिखित तहरीर बदस्त ASI बिजेन्द्र सिंह नम्बर 205/PWL के थाना पर प्राप्त हुई जो बर लिखित श्री बलवीर सिंह उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद बरखिलाफ श्री महेन्द्र कौशिक उप जिला न्यायवादी हुड्डा फरीदाबाद निवासी म0न0 988 सैक्टर-17 फरीदाबाद प्राप्त होने पर मुकदमा नम्बर 08 दिनांक 17.07.2021 धारा 13(1)(ई0) अपराध के समय प्रचलित कानून व धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की प्रतियां कम्प्यूटर द्वारा तैयार की गई। जो मुकदमा हजा स्पैशल रिपोर्ट की श्रेणी में आने पर स्पैशल रिपोर्ट बदस्त ASI बिजेन्द्र सिंह 205/पलवल के अफसरान बाला व ईलाक मजिस्ट्रेट साहब की सेवा में भेजी जा रही है। नकल मिशल पुलिस मय असल रिकार्ड बराये आगामी अनुसंधान हेतु निरीक्षक देशराज थाना राज्य चौकसी ब्यूरो के हवाले की गई। नोट- यह FIR श्री कैलाशचन्द उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद की हाजरी में दर्ज रजि0 किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Desh Raj Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 27PWL to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): NAAZNEEN BHASIN

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector
General)

No. (सं.): RWR

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

